



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1727/Type Approval No.1727

मद/FOR ITEM: एस यू -30 एम के -I वायुयान का मल्टी आउटपुट पॉवर सप्लाई मोड्यूल (पी एस एम) 36 एस एच ए 06- ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम (ओ एल एस)
Multi Output Power Supply Module (PSM) 36SHA 06 -Optical Locator System (OLS) of SU-30 MK-I aircraft

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स वर्साबाइट डाटा सिस्टम्स (पी) लिमिटेड, 24/6, 20 मेन, 1 'आर' ब्लॉक, राजाजीनगर, बेंगलोर - 560 010 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "मल्टी आउटपुट पावर सप्लाई मोड्यूल " ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम (ओ एल एस) पार्ट सं.एसयूएम/36 एसएचए-06 को आरेखन सं. 1001 108 29 इश्यू - 01 दिनांक 21/09/2004 के अनुसार एसयू-30 एमके-I वायुयान में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर सी एम ए (नासिक), के समन्वय से क्वालीफिकेशन टेस्ट प्रोसीज़र दस्तावेज सं. क्यूटीपी/पीएसयू/ एसयू30.06, 9बीआरडी/आईएनडीजी/क्यूटीपी/0010, इश्यू-01, दिनांक 10 दिसंबर 2004 के अनुसार परिक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "वर्गरिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट" में विवरित परीक्षण संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Multi Output Power Supply Module" Optical Locator System (OLS) bearing the Part No.SUM/36 SHA-06 designed, developed & manufactured by M/s. Versa byte Data Systems (P) LTD., 24/6, 20th Main 1st 'R' Block, Rajajinagar, Bengaluru-560 010, is hereby approved for production as per drawing No 1001 108 29, Issue-01, Dt.21/09/2004, for use on Optical Locator System of SU-30 MK-I aircraft. The product has been tested in co-ordination with RCMA (Nasik) as per Qualification Test Procedure Document No. QTP/PSU/SU30.06, 9BRD/INDG/QTP/0010, Issue-01, Dt.10th Dec 2004. It has met the requirements of the tests as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है । इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है । उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए ।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby-superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2017 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित,निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (नासिक), ओझर टाउनशिप - 422 007 से अनुरोध करना होगा ।

This Type Approval is valid up to 30th June 2017, unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Nasik), Ojhar Township -422 207, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक), बेंगलूरुकी पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5 यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष के क्लीयरेंस निकासी एवं दर्शायी गई विधि के स्पष्ट रूप से कड़े अनुपालन पर आधारित है ।


This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.


संलग्न/Encl : परिशिष्ट-‘ए’/Appendix-‘A’

सं/No. : सेमिलेक /CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1727

दिनांक/Date : 22 Aug 2012

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856


(डॉ. के.तमिलमणि / Dr. K.TAMILMANI)
विशिष्ट वैज्ञानिक /Distinguished Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)


21/08/12
21/08